भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2552

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

कोयला खदानों में संरक्षा नवाचार

2552. श्री प्रवीण पटेल:
श्री विजय कुमार हाँसदाक:
श्रीमती दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला खदानों के लिए वर्तमान संरक्षा नवाचार क्या हैं और इन नवाचारों का अनुपालन करने वाली खदानों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए कोयला खदान सुरक्षा निरीक्षणों का उनके निष्कर्षों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) कोयला खदानों में 2019 से राज्य-वार कितनी दुर्घटनाएं रिपोर्ट की गईं;

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान कोयला खदानों के संरक्षण और संरक्षा के अंतर्गत आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला खदानों में संरक्षा में सुधार के लिए कुल बजट आवंटन कितना है और इसका उपयोग किस प्रकार किया गया; और

(च) कोयला खदानों में दुर्घटनाओं को रोकने और उन्हें कम करने के लिए लागू किए गए विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप इन दुर्घटनाओं की संख्या में आई कमी से संबंधित डेटा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : कोयला खानों को कोयला श्रमिकों के लिए संरक्षित और सुरक्षित बनाने के लिए सभी

कोयला खानों में संरक्षा नवाचार लागू हैं, जो निम्नानुसार हैं:

1. कोयला खानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खान अधिनियम, 1952, खान नियम-1955, खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966, खान बचाव नियम, 1985, खान क्रेच नियम, 1966 और कोयला खान विनियम, 2017 और उसके तहत बनाए गए उपनियमों और स्थायी आदेश के तहत किए गए सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन।
2. साइट विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन आधारित सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं (एसएमपी) का निरूपण और कार्यान्वयन।
3. प्रमुख जोखिम प्रबंधन योजनाओं (पीएचएमपी) का निरूपण और कार्यान्वयन।
4. साइट-विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन आधारित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का निरूपण और अनुपालन।
5. बहु-विषयक सुरक्षा ऑडिट दलों के माध्यम से खानों का सुरक्षा ऑडिट करना।

(ख) : कोयला खानों में सुरक्षा निरीक्षणों तथा खान अधिनियम, 1952 और इसके अधीनस्थ विनियमों के प्रावधानों में विरोधों से संबंधित निष्कर्षों में इंगित संशोधनों से संबंधित ब्यौरा नीचे दिया गया हैं:

वर्ष	**डीजीएमएस अधिकारियों द्वारा कोयला खानों में किए गए निरीक्षणों की संख्या**	**खान अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों में विरोध की संख्या**	**खान अधिनियम, 1952 की धारा 22 क (1) के अंतर्गत जारी सुधार नोटिसों की संख्या**	**खान अधिनियम, 1952 की धारा 22 (3) के अंतर्गत जारी किए गए निषेधात्मक आदेशों की संख्या**
2021	1696	5781	71	14
2022	3693	8833	49	22
2023	3685	10935	105	43

(ग) : वर्ष 2019 से कोयला खदानों में हुई दुर्घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य	**घातक दुर्घटनाएँ**					**गंभीर दुर्घटनाएँ**				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
छत्तीसगढ़	7	12	5	4	3	10	5	10	19	12
गुजरात	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
झारखंड	11	8	7	7	9	7	11	15	16	13

मध्य प्रदेश	3	4	7	6	4	8	5	15	18	7
महाराष्ट्र	3	4	4	0	3	12	4	5	9	2
ओडिशा	7	5	2	0	6	2	2	3	4	1
राजस्थान	1	-	-	0	-	0	-	-	1	-
तेलंगाना	8	9	7	5	6	143	79	126	102	65
तमिलनाडु	1	-	0	0	1	0	-	1	1	-
उत्तर प्रदेश	2	-	1	0	0	0	2	1	1	6
पश्चिम बंगाल	8	6	10	2	5	11	8	10	9	4
कुल	**51**	**48**	**43**	**24**	**37**	**193**	**117**	**186**	**181**	**112**

(घ) : पिछले पांच वर्षों के दौरान कोयला खानों के संरक्षण और सुरक्षा के अंतर्गत आवंटित निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	**आवंटित निधि (करोड़ रुपये में)**
2020-21	06.00
2021-22	04.50
2022-23	04.00
2023-24	20.00
2024-25	20.00

(ड.) : पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला खानों में सुरक्षा में सुधार के लिए कुल बजट आवंटन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

बजट आवंटन (करोड़ रुपए में)			
कोयला कंपनी	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
सीआईएल	740.39	769.93	787.52
एससीसीएल	129.38	116.864	122.35

(च) : सभी कोयला खानें खान अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा अभिशासित होती हैं। खान अधिनियम, 1952 को डीजीएमएस द्वारा उपयुक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, मानक और दिशानिर्देशों के निरूपण, निरीक्षण, दुर्घटनाओं की जांच, जागरूकता गतिविधियों, जोखिम प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने के माध्यम से प्रशासित किया जाता है।

खान अधिनियम, 1952, खान नियम-1955, कोयला खान विनियम-2017 और उसके तहत बनाए गए उपनियमों और स्थायी आदेश के तहत किए गए सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन के अलावा, खानों में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

1. साइट विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन आधारित सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं (एसएमपी) का निरूपण और कार्यान्वयन।
2. प्रमुख जोखिम प्रबंधन योजनाओं (पीएचएमपी) का निरूपण और कार्यान्वयन।
3. साइट-विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन आधारित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का निरूपण और अनुपालन।
4. बहु-विषयक सुरक्षा ऑडिट दलों के माध्यम से खानों का सुरक्षा ऑडिट करना।
5. स्ट्रेटा प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक कार्यतंत्र को अपनाना।
6. खान पर्यावरण की निगरानी।
7. ओसी खानों के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपाय जैसे कि :
 - विस्फोट मुक्त खनन प्रौद्योगिकी के लिए पर्यावरण-अनुकूल सतही खनिकों का उपयोग।
 - खान-विशिष्ट ट्रैफिक नियमों का निरूपण और कार्यान्वयन।
 - एचईएमएम ऑपरेटरों को सिमुलेटर पर प्रशिक्षण।
 - निकटता चेतावनी उपकरण, रियर व्यू मिरर और कैमरा, ऑडियो-विज़ुअल अलार्म (एवीए), ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम आदि से लेस डंपर।
 - ऑपरेटरों की सुविधा के लिए एर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन की गई सीटें और एसी केबिन।
 - ओसी खान के अंदर एचईएमएम की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए कुछ बड़े ओसीपी में जीपीएस आधारित ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम (ओआईटीडीएस) और जियो-फेंसिंग।
 - रोशनी के स्तर को बढ़ाने के लिए हाई मास्ट टावरों का उपयोग करके प्रकाश की व्यवस्था।
8. भूमिगत कोयला खानों के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपाय, जैसे कि :
 - एलएचडी और एसडीएल के साथ अर्ध मशीनीकरण की शुरूआत करके बास्केट लोडिंग को समाप्त करना।
 - न्यूमेटिक/हाइड्रोलिक रूफ बोल्टिंग सिस्टम द्वारा बोल्टिंग के साथ प्रभावी रूफ कंट्रोल सिस्टम के लिए रेसिन कैप्सूल से सीमेंट कैप्सूल का प्रतिस्थापन करना।

- जहां भी भूविज्ञान अनुमति देता है, सतत खनिक प्रौद्योगिकी को अपनाया जाता है।
- आपातकालीन प्रतिक्रिया और निकासी योजनाएं (ईआर और ईपी) सीएमआर 2017 के विनियमन 252 के अनुसार तैयार की गई।
- भूमिगत खान पर्यावरण में सुधार के लिए एयर चिलिंग प्लांट।
- बचाव कर्मियों द्वारा उपयोग के लिए तार‌रहित कैप लैंप खरीदे गए हैं।

9. खान सुरक्षा पर प्रशिक्षण:

- क़ानून के अनुसार प्रारंभिक और पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण।
- एचईएमएम ऑपरेटरों को सिमुलेटर पर प्रशिक्षण।
- विभिन्न विषयों पर निरंतर आधार पर फ्रंट लाइन खान अधिकारियों का कौशल उन्नयन।
- सुरक्षा समितियों के सदस्यों और ठेका कामगारों सहित सभी कर्मचारियों को नियमित आधार पर जागरूक करना।
- खान अधिकारियों के ज्ञान में वृद्धि हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- एसआईएमटीएआरएस मान्यता प्राप्त अधिकारियों द्वारा जोखिम प्रबंधन पर प्रशिक्षण।

10. खान सुरक्षा निरीक्षण:

- पर्याप्त संख्या में सक्षम और वैधानिक पर्यवेक्षकों तथा खान अधिकारियों द्वारा सभी खनन प्रचालन कार्यों का चौबीसों घंटे पर्यवेक्षण।
- प्रत्येक खान में नियुक्त कामगार निरीक्षकों द्वारा नियमित निरीक्षण।
- खान एवं क्षेत्र स्तरीय अधिकारियों द्वारा बैक शिफ्ट खान का औचक निरीक्षण।
- आंतरिक सुरक्षा संगठन के अधिकारियों द्वारा नियमित खान निरीक्षण।
- वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आवधिक खान निरीक्षण।
